
अध्याय—2

अनुपालन लेखापरीक्षा

- अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के संचालन की लेखापरीक्षा
- लेखापरीक्षा कंडिकाएं

अध्याय—2

अनुपालन लेखापरीक्षा

जनजातीय कार्य विभाग

2.1 अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के संचालन की लेखापरीक्षा

2.1.1 प्रस्तावना

भारत का संविधान समाज के वंचित वर्गों को समाज के अन्य वर्गों के समान अवसर प्रदान करने के साथ उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। मध्य प्रदेश में, 20 जिलों में 89 विकासखण्ड, आदिवासी विकासखण्ड हैं। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के बीच साक्षरता दर 2001 में 41.2 प्रतिशत से बढ़कर 2011¹ में 50.6 प्रतिशत हो गई। हालांकि, राज्य में कुल साक्षरता दर 69.3 प्रतिशत की तुलना में एस.टी. की साक्षरता दर में 18.7 प्रतिशत का अंतर था। एस.टी. की कम साक्षरता को ध्यान में रखते हुये, राज्य में एस.टी. के लिए निम्नलिखित आवासीय विद्यालय और छात्रावास स्थापित किए गये हैं:—

- **आश्रम शालाएँ :** ये आवासीय विद्यालय कक्षा एक से आठ तक के आदिवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। राज्य में, मार्च 2017 तक 1,051 आश्रम शालाएँ संचालित थीं, जिनमें से, 242 आश्रम शाला भवनों का निर्माण केन्द्र प्रवर्तित योजना² के तहत किया गया था।
- **कन्या शिक्षा परिसर (के.एस.पी.):** वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान, कम महिला साक्षरता दर वाले आदिवासी विकासखण्डों में कक्षा छह से 12 तक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य शासन ने कन्याओं के आवासीय विद्यालयों के रूप में 78 के.एस.पी. स्थापित किए।
- **राज्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान के साथ केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.) स्थापित किये गये हैं।**
- **दूरस्थ क्षेत्रों से एस.टी. श्रेणी के छात्रों को आवास प्रदान करने के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास स्थापित किए गए हैं।** राज्य में संचालित 1,368 प्री-मैट्रिक छात्रावासों तथा 210 पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों (मार्च 2017 तक) में से 255 प्री-मैट्रिक छात्रावासों तथा 28 पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों का निर्माण भारत सरकार की वित्तीय सहायता³ से हुआ था।

¹ जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत में अनुसूचित जनजाति की सांख्यिकीय रूपरेखा 2013।

² केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में आश्रम शालाओं की स्थापना में कन्या आश्रम शालाओं के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत और बालक आश्रम शालाओं के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का प्रावधान था।

³ अनुसूचित जनजाति कन्याओं और बालकों के छात्रावास हेतु, केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत कन्या छात्रावासों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत और बालक छात्रावासों के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का प्रावधान था।

- मार्च 2017 तक, 76 आवासीय विद्यालय/छात्रावास भी 35 अशासकीय संस्थाओं (एन.जी.ओ.) द्वारा संचालित हैं, जिसकी निगरानी जनजातीय कार्य विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा की जाती है।

आदिवासी विकासखण्डों में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए जनजातीय कार्य विभाग उत्तरदायी है। शासन स्तर पर, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं और आयुक्त, आदिवासी विकास, विभाग के प्रमुख हैं। एमपी ट्रायबल वेलफेर रेसीडेंसीयल एण्ड आश्रम एजूकेशनल इन्सटीट्यूसंस सोसायटी, जो मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीयन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत है, ई.एम.आर.एस. के प्रबंधन के लिए वर्ष 2001 में आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा अधिकृत की गई थी। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (ए.सी.टी.डी.)/जिला संयोजक आदिवासी कल्याण (डी.ओ.टी.डब्ल्यू) जिला स्तर पर एस.टी. के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। एस.टी. के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के मुखिया क्रमशः प्राचार्य और अधीक्षक हैं तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ.) उनके निरीक्षण के लिए जिम्मेदार है।

2.1.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

एस.टी. के लिये आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के संचालन की लेखापरीक्षा अवधि 2012–13 से 2016–17 तक के लिए की गयी। लेखापरीक्षा उद्देश्य थे: (i) क्या पात्र हितग्राहियों को समाविष्ट करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदाय करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा था?; (ii) क्या मानव संसाधन पर्याप्त थे?; (iii) क्या एक प्रभावी निगरानी तंत्र था?; (iv) एस.टी. आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधि प्रबंधन कैसा था?

18 अप्रैल 2017 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली पर चर्चा की गयी। शीर्ष स्तर पर आयुक्त, आदिवासी विकास और एमपी ट्रायबल वेलफेर रेसीडेंसीयल एण्ड आश्रम एजूकेशनल इन्सटीट्यूसंस सोसायटी के कार्यालयों में अभिलेखों की जांच की गयी। चार जिलों (धार, खरगौन, मंडला तथा शहडोल) जिनमें 32 आदिवासी विकासखण्ड हैं, मैदानी स्तर पर लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए गए थे। चार ए.सी.टी.डी. और चयनित नौ आदिवासी विकासखण्डों में नौ बी.ई.ओ. के कार्यालयों, 31 आवासीय विद्यालयों और 28 छात्रावासों की जांच की गयी जैसा कि परिशिष्ट 2.1.1 में वर्णित है। नमूना जांच किए गये आवासीय विद्यालय और छात्रावास, चयनित जिलों के आदिवासी विकासखण्डों में आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत है।

अगस्त 2017 में प्रारूप प्रतिवेदन जनजातीय कार्य विभाग को जारी किया गया था। 11 दिसम्बर 2017 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी चर्चा की गई। निर्गम सम्मेलन के दौरान जनजातीय कार्य विभाग के उत्तर तथा व्यक्त विचारों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया। उत्तरों को शामिल करते हुए, एक संशोधित प्रारूप प्रतिवेदन अप्रैल 2018 में जनजातीय कार्य विभाग को जारी किया गया। हालांकि, संशोधित प्रतिवेदन के उत्तर अगस्त 2018 तक प्रतीक्षित थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी कंडिकाओं में दो खण्डों के अधीन चर्चा की गई है: खण्ड अ – केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत संचालित ई.एम.आर.एस.; एवं खण्ड ब – मुख्यतः राज्य योजनाओं के तहत संचालित अन्य आवासीय विद्यालय और छात्रावास।

चूंकि यह चयनित आवासीय विद्यालयों / छात्रावासों में एक लेखा परीक्षा जांच थी और अधिकांश लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकृति के हैं जो अन्य आवासीय विद्यालयों/ छात्रावासों, जो लेखापरीक्षा जांच में शामिल नहीं किये गये हैं, में परिलक्षित हो सकते हैं, इसलिए विभाग शेष आवासीय विद्यालयों/ छात्रावासों में स्थिति की आंतरिक जांच यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से कि वे आवश्यकता और नियमों के अनुसार संचालित हैं, कर सकता है।

खण्ड (अ) – एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.)

भारत सरकार ने राज्य के दूरदराज इलाकों में एस.टी. श्रेणी के छात्रों को माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा छह से 12) तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदाय करने के उद्देश्य से ई.एम.आर.एस. योजना आरम्भ (1997–98) की। योजना के तहत, भारत सरकार विद्यालय भवन के निर्माण हेतु पूँजीगत लागत और विद्यालय संचालन के लिए निर्धारित दर से आवर्ती लागत प्रदाय करती है। राज्य शासन को विद्यालय, खेल के मैदान, छात्रावास, आवास—गृह आदि के लिए पर्याप्त भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराना है। राज्य शासन ई.एम.आर.एस. के प्रबंधन और प्रभावी संचालन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है।

राज्य में 29 ई.एम.आर.एस. संचालित हैं, जो पांच चरणों⁴ में खोले गए थे। राज्य स्तर पर ई.एम.आर.एस. के संचालन के लिए एमपी ट्रायबल वेलफेर रेसीडेंसीयल एण्ड आश्रम एजूकेशनल इन्सटीट्यूसंस सोसायटी (सोसायटी) उत्तरदायी है। जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री पदेन अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग पदेन उपाध्यक्ष तथा आयुक्त, आदिवासी विकास सोसायटी के निदेशक मंडल के पदेन सचिव हैं। जिला स्तर पर ई.एम.आर.एस. के संचालन तथा नियंत्रण के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों के अधीन जिला निगरानी समितियां स्थापित की गई हैं। वर्तमान लेखापरीक्षा में 29 ई.एम.आर.एस. में से 7⁵ को आवृत किया गया।

2.1.3 ई.एम.आर.एस. का वित्तीय प्रबंधन

भारत सरकार, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं (टी.ए.डी.पी.) विभाग, मध्य प्रदेश शासन को ई.एम.आर.एस. के तहत सहायता अनुदान (जी.आई.ए.) प्रदाय करता है, जो इस बजट को आयुक्त, आदिवासी विकास को पुनरावटित करती है, जो सोसायटी को निधियां जारी करता है। सोसायटी ई.एम.आर.एस. के संचालन के लिए कलेक्टर को और निर्माण कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) को निधियां जारी करती है।

योजना के तहत, छात्रावास भवनों और कर्मचारी आवास—गृहों सहित विद्यालय भवन के लिए ₹ 12 करोड़ की पूँजीगत लागत अनावर्ती जी.आई.ए. के रूप में प्रदाय की जाती है। योजना के तहत विद्यालय के पहले वर्ष के लिए ₹ 42,000 प्रति बच्चा प्रति वर्ष की आवर्ती जी.आई.ए. प्रदान की जाती है, जिसे प्रति दूसरे वर्ष मुद्रास्फीति की क्षतिपूर्ति, आदि के लिए 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। आवश्यक अनावर्ती वस्तुओं की खरीद जैसे रसोईघर, भोजन, छात्रावास, मनोरंजन, बगीचे आदि को शामिल करते हुए फर्नीचर/उपकरण, के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार प्रति विद्यालय ₹ 10 लाख की राशि की अनुमति है।

⁴ प्रथम चरण (1999–2000) में आठ विद्यालय, दूसरे चरण (2005–06) में चार विद्यालय, तीसरे चरण (2010–11) में आठ विद्यालय, चौथे चरण (2014–15) में पांच विद्यालय तथा 5वें चरण (2015–16) में चार विद्यालय।

⁵ धार (कुक्षी और धार), खरगौन, मंडला (सिङ्गौरा और मंडला) और शहडोल

2012–13 से 2016–17 के दौरान, भारत सरकार से टी.ए.डी.पी. को ₹ 282.19 करोड़ का जी.आई.ए. प्राप्त हुआ, जो आयुक्त, आदिवासी विकास को स्थानांतरित किया गया, जिसने फिर सम्पूर्ण जी.आई.ए. सोसायटी को जारी किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि आयुक्त, आदिवासी विकास ने सोसायटी को निधि हस्तांतरण में यथोचित परिश्रम (due diligence) नहीं किया। सोसायटी के पदेर सचिव होने के कारण आयुक्त, आदिवासी विकास, सोसायटी के पास पड़ी अप्रयुक्त शेष राशियों से अवगत थे। हालांकि, अप्रयुक्त शेष राशियों को समायोजित किये बिना निधियां जारी की गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2017 को सोसायटी के बैंक खातों में ₹ 113.84 करोड़ की बड़ी राशि जमा थी।

आगे, 2015–16 और 2016–17 की अवधि हेतु सोसायटी के खातों को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण, सोसायटी द्वारा किये गये व्यय को लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सका। हालांकि, सोसायटी ने 2012–13 से 2016–17 के दौरान उसके द्वारा किये गये व्यय के निम्नलिखित विवरण (तालिका 2.1.1) प्रदान किये।

तालिका 2.1.1: सोसायटी द्वारा प्राप्त अनुदान एवं किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूर्व शेष	आवर्ती अनुदान	अनावर्ती अनुदान	बैंक से प्राप्त ब्याज	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	अंत शेष
2012–13	48.61	25.08	21.83	1.84	97.36	20.58	76.78
2013–14	76.78	25.63	0.00	2.66	105.07	35.35	69.72
2014–15	69.72	28.32	39.37	2.46	139.87	31.68	108.19
2015–16	108.19	30.09	50.00	1.43	189.71	30.15	159.56
2016–17	159.56	34.21	27.66	2.80	224.23	126.90	97.33
योग		143.33	138.86	11.19		244.66	

(स्रोत: टी.ए.डी.पी., आयुक्त, आदिवासी विकास और सोसायटी के अभिलेख)

2012–13 से 2016–17 के दौरान ₹ 97.33 करोड़ की बचत ई.एम.आर.एस. भवनों के निर्माण में धीमी प्रगति, जैसा कि कंडिका 2.1.4.2 में वर्णित है, और प्रति वर्ष ₹ सात करोड़ से ₹ 13 करोड़ तक की सीमा में ई.एम.आर.एस. को निधि का हस्तांतरण, छात्रों के नामांकन के अनुपात में नहीं किए जाने के कारण थी। नामांकित छात्रों के अनुपात में ई.एम.आर.एस. को निधि हस्तांतरित न किए जाने का कारण न तो सोसायटी के अभिलेखों में उपलब्ध था और न ही अनुस्मारक पत्रों के बावजूद लेखापरीक्षा को प्रदाय किया गया।

निधारित लेखा-बहियों का संधारण न किया जाना

सोसायटी के उपनियमों के अनुसार, रोकड़ बही और अन्य संबंधित लेखों को सहायक सचिव (लेखा) द्वारा संधारित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि रोकड़ बही उचित रूप से संधारित नहीं की गई थी और आवश्यक जानकारी जैसे प्राप्त जी.आई.ए., प्रारंभिक तथा अंतशेष आदि सम्मिलित नहीं किए गए थे। सोसायटी ने अन्य सुसंगत अभिलेख जैसे कि लेजर, बैंक समाधान पत्रक भी तैयार नहीं किए। बैंक विवरणों की जांच में पता चला कि 31 मार्च 2017 की स्थिति में, सोसायटी के ई.एम.आर.एस. बैंक खातों में ₹ 113.84 करोड़ के विरुद्ध सोसायटी के अभिलेखों ने अंतिम शेष ₹ 97.33 करोड़ सूचित किया। सोसायटी के वार्षिक लेखे जो वित्तीय वर्ष पूर्ण होने के 90 दिनों के भीतर तैयार किये जाने थे, वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए तैयार नहीं किए गये थे क्योंकि सोसायटी सनदी लेखाकार (सी.ए.) को नियुक्त करने में विफल रही थी। सोसायटी के पदेर सचिव के रूप में आयुक्त, आदिवासी विकास

सोसायटी के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन खातों को अंतिम रूप देने में विफल रहे।

आवश्यक अभिलेखों की अनुपस्थिति संभावित दुर्रपयोग और धोखाधड़ी के लिए एक खतरे का सूचक है, जैसा कि तथ्य भी है कि सोसायटी एक सी.ए. को नियुक्त करने में विफल रही और लेखे बकाया हैं।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया।

अनुशंसा

जनजातीय कार्य विभाग को सोसायटी के अनिवार्य बही-खातों को संधारित करने और खातों को अंतिम रूप देने में विफलता की जांच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विफलता जानबूझकर नहीं थी तथा दुर्रपयोग और धोखाधड़ी की कोई घटना नहीं थी, सतर्कता दृष्टिकोण से करनी चाहिए। जनजातीय कार्य विभाग को इस विफलता के लिए सोसायटी के पदाधिकारियों पर जवाबदेही भी तय करनी चाहिए तथा अविलंब उचित अनुशासनात्मक और अन्य कार्रवाई करनी चाहिए।

अवास्तविक उपयोगिता प्रमाणपत्रों का प्रस्तुतीकरण

2012–13 से 2016–17 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 282.19 करोड़ के जी.आई.ए. के लिए सोसायटी द्वारा प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यू.सी.) की जांच और सोसायटी के ई.एम.आर.एस. बैंक खातों के साथ परस्पर सत्यापन से पता चला कि यू.सी. अवास्तविक थे, क्योंकि मार्च 2017 तक सोसायटी के ई.एम.आर.एस. बैंक खातों में ₹ 113.84 करोड़ (ब्याज सहित) की अप्रयुक्त शेष राशि थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि सोसायटी के सचिव के रूप में आयुक्त, आदिवासी विकास ने यू.सी. के प्रस्तुतीकरण को अनुमोदित किया था। इस प्रकार, आयुक्त, आदिवासी विकास, ₹ 113.84 के अवास्तविक यू.सी. प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार थे।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया।

अनुशंसा

भारत सरकार को गलत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए जनजातीय कार्य विभाग को सोसायटी के पदाधिकारियों पर जवाबदेही तय करनी चाहिए तथा उचित विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए।

ई.एम.आर.एस. के निर्माण के लिए असमायोजित/न पता लगाए जाने योग्य अग्रिम

सोसायटी ने 2001–02 से 2008–09 के दौरान ई.एम.आर.एस. के भवन निर्माण के लिए 18 जिला कलेक्टरों⁶ को ₹ 30.69 करोड़ का अग्रिम जारी किया। लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित पता चला:

✓ आठ से 15 वर्ष पहले स्वीकृत ₹ 30.69 करोड़ के अग्रिम आज दिनांक (अगस्त 2018) तक असमायोजित थे। सोसायटी द्वारा असमायोजित अग्रिमों के

⁶ अनूपपुर (₹ 1.66 करोड़), बड़वानी (₹ 1.61 करोड़), बालाघाट (₹ 2.00 करोड़), बैतूल (₹ 1.62 करोड़), छिद्वाड़ा (₹ 1.00 करोड़), धार (₹ 4.02 करोड़), डिण्डोरी (₹ 0.50 करोड़), झाबुआ (₹ 2.10 करोड़), खण्डवा (₹ 2.00 करोड़), खरगौन (₹ 2.00 करोड़), मण्डला (₹ 2.01 करोड़), रतलाम (₹ 2.21 करोड़), सिवनी (₹ 2.37 करोड़), शहडोल (₹ 2.00 करोड़), शिवपुरी (₹ 1.00 करोड़), सीधी (₹ 1.00 करोड़), श्योपुर (₹ 0.99 करोड़) तथा उमरिया (₹ 0.60 करोड़)।

समायोजन/वसूली के लिए की गई कार्रवाई का कोई प्रमाण लेखापरीक्षा को नहीं मिला।

✓ ₹ 1.00 करोड़ और ₹ 0.99 करोड़ के अग्रिम क्रमशः शिवपुरी (2006–07) और श्योपुर (2008–09) के कलेक्टरों को जारी किये गये थे, जबकि इन जिलों में ई.एम.आर.एस. की कोई योजना नहीं थी या स्थापित नहीं थी।

✓ इसी तरह, 2006–07 से 2008–09 के दौरान बालाघाट, खण्डवा, खरगौन और शहडोल जिलों में से प्रत्येक को ₹ 2.00 करोड़ (योग: ₹ 8.00 करोड़) के अग्रिम जारी किए गए, जबकि 2009–10 तक इन जिलों में कोई ई.एम.आर.एस. स्वीकृत नहीं था। बाद में, ई.एम.आर.एस. भवनों के निर्माण के लिए इन जिलों⁷ में से प्रत्येक को ₹ 12.00 करोड़ (योग: ₹ 48.00 करोड़) जारी किए गए। हालांकि, पूर्व के ₹ 8.00 करोड़ के अग्रिम असमायोजित बने रहे।

✓ नमूना जांच किये गये चार जिलों में, ₹ 8.00 करोड़⁸ में से ₹ 6.03 करोड़⁹ के अग्रिम के अभिलेख तीन जिला कलेक्टरों (धार, मण्डला और शहडोल) के अभिलेखों में नहीं पाये गये, और दो जिलों (धार और खरगौन) में ₹ 4.00 करोड़ के अग्रिम यद्यपि पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उपयोग कर लिए गये थे, सोसायटी की बहियों में असमायोजित थे।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई का वादा किया।

अनुशंसा

जनजातीय कार्य विभाग को सतर्कता दृष्टिकोण से लंबी अवधि से पड़े असमायोजित अग्रिम के प्रकरणों की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई दुरुपयोग या धोखाधड़ी नहीं है। जनजातीय कार्य विभाग और मध्य प्रदेश शासन को अप्रयुक्त अग्रिमों को वापस/समायोजित करने में विफल होने के लिए जिला और सोसायटी पदाधिकारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक और अन्य कार्रवाई करनी चाहिए। आयुक्त, आदिवासी विकास, जो सोसायटी के पदेन सचिव भी हैं, को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले समायोजन के लिए बकाया अग्रिमों की आवधिक समीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

2.1.4 कार्यक्रम क्रियान्वयन

2.1.4.1 ई.एम.आर.एस. में शिक्षा की गुणवत्ता

ई.एम.आर.एस. के दिशा निर्देश (जून 2010) निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार पूरी तरह से ई.एम.आर.एस. के प्रबंधन और प्रभावी संचालन के लिये जिम्मेदार है, और उसे शैक्षणिक एवं पाठ्येतर उत्कृष्टता के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों के चयन में उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए।

मध्य प्रदेश शासन ने ई.एम.आर.एस. में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2013 अनुमोदित (जून 2013) किए। हालांकि, ई.एम.आर.एस. में शिक्षकों की अत्यधिक कमी थी (परिशिष्ट 2.1.2)। 29 ई.एम.आर.एस. में से 15 ई.एम.आर.एस. में प्राचार्यों के पद रिक्त पड़े थे। इसी तरह, व्याख्याताओं के 120 पदों के विरुद्ध, 95 पद रिक्त थे और शिक्षकों के 180 पदों में से, 152 रिक्त थे।

⁷ 2010–11 में बालाघाट, खण्डवा तथा शहडोल और 2015–16 में खरगौन को।

⁸ धार: ₹ 4.02 करोड़ (2001–09 के दौरान जारी), मण्डला: ₹ 2.01 करोड़ (2001–05 के दौरान जारी) तथा शहडोल: ₹ 2.00 करोड़ (2006–09 के दौरान जारी)।

⁹ धार: ₹ 2.02 करोड़, मण्डला: ₹ 2.01 करोड़, शहडोल: ₹ 2.00 करोड़।

व्याख्याताओं और शिक्षकों का कोई भी पद नियमित कर्मचारियों द्वारा नहीं भरा गया था। शिल्प शिक्षकों, तबला शिक्षकों, सहायक विज्ञान शिक्षकों, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक और सहायक शिक्षकों के पद किसी भी ई.एम.आर.एस. में नहीं भरे गए थे। मध्यप्रदेश के ई.एम.आर.एस. में योग्य और स्थायी शिक्षकों को प्रदान करने में राज्य सरकार की विफलता पर भारत सरकार की चिंता को तत्कालीन राज्य मंत्री, जनजातीय मामले, भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री म.प्र.शा. को भी सूचित (मई 2016) किया गया था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिये आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा उठाये गए उपाय केवल अंतरायिक थे। आयुक्त, आदिवासी विकास ने शिक्षकों की भर्ती के लिए व्यापम¹⁰ से अनुरोध (जून 2014, जुलाई 2014 और जून 2015) किया था। हालांकि, व्यापम द्वारा शिक्षकों की भर्ती न किए जाने के कारण; अभिलेख से स्पष्ट नहीं थे। सोसायटी के संचालक मण्डल की बैठक के कार्यवृत् (अप्रैल 2015) के अनुसार, व्यापम अन्य प्रक्रियाओं¹¹ में शामिल होने के कारण शिक्षकों की भर्ती करने में सक्षम नहीं था। जनजातीय कार्य विभाग ने नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों के चयन के लिए आयोजित परीक्षा में प्रतीक्षा सूचीबद्ध उम्मीदवारों में से प्राचार्यों/व्याख्याताओं/शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त उम्मीदवारों को उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से भी अनुरोध (नवम्बर 2016 और जनवरी 2017) किया था।

परिणामस्वरूप, संविदा शिक्षकों या अतिथि शिक्षकों को रखते हुए रिक्तियों को केवल आंशिक रूप से भरा गया था। हालांकि, इस तदर्थ व्यवस्था ने ई.एम.आर.एस. में विषयवार शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण, शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इसने ई.एम.आर.एस. में परिणामों की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया जैसा कि नीचे उल्लेखित है:—

ई.एम.आर.एस. के कक्षा 12 वीं के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत, ई.एम.आर.एस. के कक्षा 10 वीं के छात्रों के परिणाम और सी.बी.एस.ई.¹² के अजमेर क्षेत्र में कक्षा 12 वीं के छात्रों के परिणाम की तुलना में बहुत खराब था, जैसा कि तालिका 2.1.2 में वर्णित है।

तालिका 2.1.2: कक्षा 12 वीं की परीक्षा में ई.एम.आर.एस. का प्रदर्शन

वर्ष	ई.एम.आर.एस. में कक्षा 10वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत	ई.एम.आर.एस. में कक्षा 12वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत	सी.बी.एस.ई. के अजमेर क्षेत्र में कक्षा 12वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत
2012–13	99.70	40.95	86.26
2013–14	100.00	53.69	86.22
2014–15	95.90	54.39	85.17
2015–16	93.65	78.00	86.64
2016–17	96.38	65.37	84.69

(स्रोत: सोसायटी द्वारा प्रदाय आंकड़े एवं सी.बी.एस.ई. की वेबसाईट पर उपलब्ध जानकारी)

ई.एम.आर.एस. में परिणामों की स्थिति चिंता का विषय है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि ई.एम.आर.एस. में छात्रों के प्रवेश के लिए एक कठिन चयन प्रक्रिया है।

¹⁰ व्यापम मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम 2007 के तहत गठित राज्य शासन की भर्ती निकाय है। राज्य शासन ने सूचित किया (जनवरी 2015) कि व्यापम भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियाँ एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत नहीं आता है।

¹¹ अभिव्यक्ति ‘अन्य प्रक्रिया’ कार्य विवरण में स्पष्ट नहीं किया गया है।

¹² राज्य में ई.एम.आर.एस. के छात्र, सी.बी.एस.ई. के अजमेर क्षेत्र में नामांकित हैं।

और इन विद्यालयों को पर्याप्त बुनियादी ढांचा और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो अन्यथा अन्य शासकीय विद्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार, शिक्षकों की भर्ती में जनजातीय कार्य विभाग की विफलता के कारण राज्य में एस.टी. के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय विद्यालयों के रूप में ई.एम.आर.एस. स्थापित करने का उद्देश्य प्रभावित हुआ।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने स्वीकार किया कि विषयवार/अंग्रेजी माध्यम के अतिथि शिक्षकों की अनुपलब्धता और अतिथि शिक्षकों को सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम का पर्याप्त ज्ञान नहीं होने के कारण छात्रों का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने आगे कहा कि विभागीय ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से प्राचार्य/व्याख्याताओं/शिक्षकों की भर्ती के लिये प्रयास किये जा रहे थे।

अनुशंसा

जनजातीय कार्य विभाग को ई.एम.आर.एस. में प्राचार्य/व्याख्याताओं/शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल उपाय करना चाहिये और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए संविदा/अतिथि शिक्षकों पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

2.1.4.2 ई.एम.आर.एस. भवनों का निर्माण

2010–11 से 2016–17 के बीच भारत सरकार ने 17 ई.एम.आर.एस. भवनों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता (जी.आई.ए.) प्रति भवन ₹ 12.00 करोड़ स्वीकृत किया। दिसम्बर 2017 की स्थिति में इन ई.एम.आर.एस. के निर्माण की स्थिति तालिका 2.1.3 में दी गई है।

तालिका 2.1.3: दिसम्बर 2017 की स्थिति में ई.एम.आर.एस. भवनों के निर्माण की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत	पूर्ण	अपूर्ण
2010–11	8	7	1
2014–15	5	निरंक	5
2015–16	4	निरंक	4
कुल	17	7	10

(स्रोत: सोसायटी के द्वारा प्रदाय आंकड़े)

लेखापरीक्षा ने देखा कि 10 अपूर्ण भवनों के लिए प्राप्त ₹ 120 करोड़ के जी.आई.ए. में से पी.डब्ल्यू.डी. (निर्माण एजेंसी) ने ₹ 87.64 करोड़ (इसे जारी किये गये ₹ 100.70 करोड़ में से)¹³ व्यय किया था। इन ई.एम.आर.एस. के निर्माण की धीमी प्रगति का मुख्य कारण भूमि चयन में दो महीने से 17 महीने तक का विलम्ब था। हालांकि, टीएडी के विभागीय निर्माण नियमों के अनुसार, ई.एम.आर.एस. के भवनों के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति से पहले, ए.सी.टी.डी. भूमि चयन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे। चूंकि ये ई.एम.आर.एस. अपूर्ण भवनों/अस्थायी व्यवस्थाओं में संचालित हो रहे थे, इसलिए छात्रों को उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए उल्लेखित सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा था।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने पी.डब्ल्यू.डी. को विफलता का जिम्मेदार ठहराया, जिसने निर्धारित 18 महीनों के भीतर काम पूरा नहीं किया। आगे, मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक में इन कार्यों को जुलाई

¹³ शेष राशि में से ₹ 13.06 करोड़ पी.डब्ल्यू.डी. के पास पड़ा था तथा ₹ 19.30 करोड़ सोसायटी के पास पड़ा था।

2018 तक (ई.एम.आर.एस. बुधनी जिला सिहोर, खरगौन, मण्डला, सेंधवा जिला बडवानी और चंद्रशेखर आजाद नगर जिला अलीराजपुर के संबंध में) और जुलाई 2019 तक (ई.एम.आर.एस. गरडावद जिला धार, सिंगरौली, मैहर और चित्रकूट जिला सतना के संबंध में) पूरा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग के उत्तर में भूमि चयन सुनिश्चित किए बिना प्रशासनिक स्वीकृति देने में जनजातीय कार्य विभाग की विफलता को संबोधित नहीं किया गया।

2.1.4.3 संचालक मंडल और जिला स्तरीय समिति की बैठकें

सोसायटी उप-नियम निर्धारित करते हैं कि संचालक मंडल को वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार, और यदि आवश्यक हो तो, एक बार से अधिक ऐसी तिथियों और ऐसे स्थानों पर जैसा कि अध्यक्ष द्वारा तय किया जाए, मिलना चाहिए। लेखापरीक्षा ने, यद्यपि, देखा कि 2012–17 के दौरान संचालक मंडल निर्धारित 20 बैठकों के विरुद्ध केवल सात बार मिले थे।

जिला स्तरीय समितियों को भवनों की व्यवस्था और निर्माण की गुणवत्ता नियंत्रण, ई.एम.आर.एस. में बुनियादी सुविधायें, शिक्षा में नवाचार, प्राप्त निधि के उपयोग आदि को सुनिश्चित करना था। इन समितियों का प्रत्येक वर्ष चार बार मिलना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने, हालांकि, देखा कि नमूना जांच किये गये छह ई.एम.आर.एस. में, 2012–17 के दौरान जिला स्तरीय समिति की निर्धारित 76 बैठकों के विरुद्ध केवल 12 बैठकें हुई थीं जैसा कि परिशिष्ट 2.1.3 में वर्णित है।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

खण्ड (ब) – एस.टी. के लिए अन्य आवासीय विद्यालय और छात्रावास

2.1.5 बजट प्रावधान और व्यय

वर्ष 2012–17 के दौरान, राज्य सरकार ने एस.टी. के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों पर ₹ 2,441.46 करोड़ का व्यय किया, जिसमें ₹ 71.31 करोड़ की केन्द्रीय सहायता (50 छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए ₹ 43.50 करोड़ और 92 आश्रम शाला भवनों के निर्माण के लिए ₹ 27.81 करोड़) शामिल थी। 2012–13 से 2016–17 के दौरान एस.टी. के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों पर बजट प्रावधान और व्यय तालिका 2.1.4 में वर्णित है।

तालिका 2.1.4: एस.टी. के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों पर बजट प्रावधान एवं व्यय


(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आबंटन			व्यय	बजट प्रावधान के विरुद्ध बचत
	बजट प्रावधान	पुनर्विनियोजन	कुल आबंटन		
2012–13	431.28	(–) 25.22	406.06	404.11	27.17
2013–14	546.04	(–) 60.12	485.92	423.68	122.36
2014–15	632.43	(–) 116.60	515.83	464.48	167.95
2015–16	785.63	(–) 235.98	549.65	531.88	253.75
2016–17	794.57	(–) 142.89	651.68	617.31	177.26
योग	3,189.95	(–) 580.81	2,609.14	2,441.46	748.49

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विस्तृत विनियोजन लेखे)

2012–17 के दौरान योजनावार बजट प्रावधान एवं व्यय चार्ट 2.1.1 में दिये गये हैं।

चार्ट 2.1.1: 2012–17 के दौरान योजनावार बजट प्रावधान और व्यय



(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे)

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि बजट प्रावधानों के विरुद्ध बचत, मुख्य रूप से निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति और स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्तियों की वजह से देय वेतन पर कम व्यय के कारण थी, जैसा उत्तरवर्ती पैराग्राफ 2.1.6.4 और 2.1.6.6 में चर्चा की गयी है।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि भविष्य में वास्तविक बजट प्रावधान बनाए जाएंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अपने बजट वास्तविक बनाने की कोशिश करने के बजाय, जनजातीय कार्य विभाग को बजट निधियों को खर्च करने में असमर्थता के मूल कारण को संबोधित करना चाहिए।

2.1.6 कार्यक्रम क्रियान्वयन

2.1.6.1 बिना योजना तैयार किए छात्रावासों का उन्नयन

जनजातीय कार्य विभाग ने 330 एस.टी. प्री-मैट्रिक छात्रावासों को 50 सीटर छात्रावासों में उन्नयित (दिसम्बर 2012) किया। हालांकि, इस उन्नयन के परिणामस्वरूप इन छात्रावासों की आवास क्षमता में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं की गई। स्वयं के भवन में संचालित हो रहे 318 उन्नयित छात्रावासों में से केवल 71 उन्नयित छात्रावासों में नये भवन/अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया गया था। इस प्रकार, 247 (75 प्रतिशत) उन्नयित छात्रावासों में स्वीकृत सीटों के विरुद्ध पर्याप्त आवास नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, छात्रों को विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि, एक चारपाई दो छात्रों द्वारा साझा किया जा रहा था, शौचालयों एवं स्नानागारों की कमी आदि।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने कहा कि मई 2010 में मध्य प्रदेश विधान सभा के एक विशेष सत्र में पारित संकल्प को ध्यान में रखते हुये छात्रावासों का उन्नयन तत्काल किया गया था, जिसके कारण छात्रावासों के 50 सीटर आवास में उन्नयन से पहले नये भवनों/अतिरिक्त कक्षों का निर्माण सुनिश्चित नहीं किया जा सका। सभी उन्नयित छात्रावासों में पर्याप्त आवास सुविधा प्रदान करने हेतु भवन/अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की योजना शीघ्र ही बनायी जाएगी।

भविष्य में, मानदण्डों के अनुसार भवनों की उपलब्धता के बाद ही छात्रावासों का उन्नयन किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में पारित संकल्प में पर्याप्त बुनियादी ढांचे (आवास, शौचालय, स्नानागार इत्यादि) की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना छात्रावासों को उन्नयित करने हेतु जनजातीय कार्य विभाग को निर्देशित नहीं किया गया था। प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग का उत्तर विशेष सत्र में संकल्प और दिसम्बर 2012 के विभागीय आदेश के बीच दो वर्ष से अधिक के अंतर के कारण को भी सम्बोधित नहीं करता, जो कि 247 उन्नयित छात्रावासों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु योजना बनाने के लिये जनजातीय कार्य विभाग के लिये पर्याप्त समय था। इस प्रकार, आवश्यक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किए बिना छात्रावासों के उन्नयन करने का जनजातीय कार्य विभाग का आदेश दोषपूर्ण था।

अनुशंसा

जनजातीय कार्य विभाग को 247 छात्रावासों, जो दिसम्बर 2012 में उन्नयित किए गये थे, में तत्काल आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

2.1.6.2 आश्रम शालाओं/छात्रावासों में छात्रों का चयन

छात्रावास नियम 1966–67 एवं आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा जारी निर्देशों (जुलाई 1998) के अनुसार, आश्रम शालाओं और छात्रावासों में छात्रों का चयन, गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.), उनके निवास स्थान से आठ किलोमीटर (लड़कों के लिये)/ तीन किलोमीटर (लड़कियों के लिये) के क्षेत्र में किसी भी शैक्षणिक संस्थान की अनुपलब्धता, निवास स्थान से आश्रम/छात्रावास की दूरी और उनकी अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक चयन समिति द्वारा किया जाना था।

नमूना जांच किए गये जिलों में अभिलेखों की जांच से पता चला कि संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों (बी.ई.ओ.) ने आश्रम शालाओं और छात्रावासों में प्रवेश के लिए विकास खण्ड के विद्यालयों में अधिसूचनाएं अग्रेषित की थीं और जांच एवं छात्रों के चयन के लिए बी.ई.ओ. द्वारा एक चयन समिति गठित की गई थी। हालांकि, चयन समिति ने आश्रम शाला/छात्रावास से निवास स्थान की दूरी, प्रवीणता सूची, और बी.पी.एल. आदि चयन मानकों के पालन किए बिना, मनमाने ढंग से छात्रों का चयन किया। ए.सी.टी.डी., जो छात्रों के चयन के परिवीक्षण के लिये उत्तरदायी थे, वे भी चयन मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित कराने में असफल रहे।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और सूचित किया कि भविष्य में नियमों के अनुसार प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए नवम्बर 2017 में निर्देश जारी किए गये थे।

2.1.6.3 आश्रम शालाओं/छात्रावासों में एस.टी. छात्रों के अलावा अन्य का प्रवेश

छात्रावास नियम 1966–67 और जनजातीय कार्य विभाग के आदेश (जुलाई 1973) में आश्रम शालाओं और छात्रावासों में 90 प्रतिशत छात्र एस.टी. श्रेणी से, पांच प्रतिशत अनुसूचित जाति (एस.सी.) श्रेणी से और पांच प्रतिशत अन्य श्रेणी से, के प्रवेश के लिए प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, आयुक्त, आदिवासी विकास के आदेश (अप्रैल 1998) में दिव्यांग छात्रों के लिए तीन प्रतिशत स्थान के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इन आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ए.सी.टी.डी. उत्तरदायी थे।

चयनित 49 आश्रम शालाओं/छात्रावासों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि प्रवेश के लिए श्रेणीवार कोटा का पालन नहीं किया गया जैसा कि **तालिका 2.1.5** में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.1.5: स्वीकृत सीटों के विरुद्ध श्रेणीवार छात्रों का विवरण

वर्ष	स्वीकृत सीट	चयनित छात्र				दिव्यांग छात्र
		एस.टी.	एस.सी.	अन्य	योग	
2012–13	3,752	3,451	41	8	3,500	19
2013–14	3,786	3,562	32	6	3,600	15
2014–15	3,820	3,589	29	24	3,642	11
2015–16	3,820	3,715	16	39	3,770	13
2016–17	3,820	3,767	11	27	3,805	11
योग	18,998	18,084 (98.72 प्रतिशत)	129 (0.71 प्रतिशत)	104 (0.57 प्रतिशत)	18,317	69 (0.36 प्रतिशत)

(स्रोत: चयनित आश्रम शालायें / छात्रावास)

ए.सी.टी.डी. ने अन्य श्रेणी के छात्रों के कोटा के पालन न होने के लिए, इन क्षेत्रों में उच्च जनजातीय आबादी, जिसके कारण सभी सीटें एस.टी. छात्रों से भरी हुई हैं, को जिम्मेदार बताया।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और कहा कि आरक्षण प्रावधानों के कड़ाई से पालन के लिए सभी जिला कलेक्टरों/ए.सी.टी.डी. को निर्देश जारी किये जाएंगे।

2.1.6.4 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों का निर्माण

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आयुक्त, आदिवासी विकास ने 2012–17 के दौरान 355 आश्रम शालाओं/छात्रावासों/कन्या शिक्षा परिसरों (के.एस.पी.) के लिए भवनों का निर्माण स्वीकृत किया था। निर्माण की स्थिति **तालिका 2.1.6** में दी गई है।

तालिका 2.1.6: आश्रम शालाओं/छात्रावासों/के.एस.पी. के निर्माण की स्थिति

स्वीकृति वर्ष	कुल स्वीकृति	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
2012–13	84	79	3	2
2013–14	53	51	2	0
2014–15	52	39	10	3
2015–16	52	17	27	8
2016–17	114	1	35	78
योग	355	187	77	91

(स्रोत: आयुक्त, आदिवासी विकास का अभिलेख)

अपूर्ण/अप्रारंभ निर्माण कार्यों में 64 छात्रावास, 39 आश्रम शालायें और 65 के.एस.पी. शामिल थे। पी.डब्ल्यू.डी. और आयुक्त, आदिवासी विकास के अभिलेखों की जांच में पता चला कि इन भवनों के निर्माण में धीमी प्रगति मुख्य रूप से स्थल चयन में देरी, भूमि की अनुपलब्धता और भूमि विवाद के कारण हुई थी। हालांकि, जनजातीय कार्य विभाग के विभागीय निर्माण नियमों के अनुसार, आश्रम शालाओं/छात्रावासों/के.एस.पी. के लिए स्थल चयन, प्रशासकीय स्वीकृति से पहले किया जाना था जिसके लिए ए.सी.टी.डी. उत्तरदायी थे। स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना जनजातीय कार्य विभाग द्वारा भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

अभिलेखों की आगे जांच में पता चला कि निर्माण एजेन्सियों¹⁴ को ₹ 11.44 करोड़ हस्तांतरण के बाद भी 2012–13 से पहले स्वीकृत 17 आश्रम शालाओं/छात्रावासों का निर्माण मार्च 2017 की स्थिति में अपूर्ण था, जिनमें से ₹ 4.33 करोड़ निर्माण एजेन्सियों के पास अव्ययित शेष थे। इन 17 अपूर्ण आश्रम शालाओं/छात्रावासों में से, तीन आश्रम शालायें¹⁵ चयनित जिला (मण्डला) में स्थित थीं। इन तीन आश्रम शाला भवनों में से प्रत्येक के लिए ₹ 14.14 लाख की वित्तीय स्वीकृतियां मार्च 2000 (एस.टी. बालिका आश्रम शाला, घुघरी और एस.टी. बालक आश्रम शाला, कापा) और मार्च 2003 (एस.टी. बालिका आश्रम शाला, खजरी) में जारी की गई थीं। वर्ष 2001–07 के दौरान, ए.सी.टी.डी., मण्डला ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आर.ई.एस.) मण्डला, जो सभी तीनों भवनों के लिए निर्माण एजेन्सी थी, को ₹ 58.33 लाख जारी किए। कार्यपालन यंत्री, आर.ई.एस., मण्डला के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (मई 2017) में पता चला कि आर.ई.एस. ने इन कार्यों पर ₹ 47.10 लाख खर्च किए थे लेकिन आयुक्त, आदिवासी विकास से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन न होने के कारण निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया था। उचित स्थल चयन में देरी एवं मजदूरी और सामग्री की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप कार्यों की लागत में हुई वृद्धि के कारण आर.ई.एस. द्वारा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की मांग (नवंबर 2010) की गई। लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन (अप्रैल–मई 2017) के दौरान देखा कि निर्माण स्थलों को आर.ई.एस. द्वारा परित्यक्त किया गया है जैसा कि नीचे दी गई तस्वीरों में दिखाया गया है।

मण्डला जिले में तीन आश्रम शालाओं के परित्यक्त कार्य	
	
एस.टी. बालिका आश्रम शाला घुघरी, मण्डला का अपूर्ण निर्माण	एस.टी. बालक आश्रम शाला कापा, मण्डला का अपूर्ण निर्माण
	
एस.टी. बालिका आश्रम शाला खजरी, मण्डला का अपूर्ण निर्माण	एस.टी. बालिका आश्रम शाला खजरी, मण्डला की छात्राएं कक्षाओं के अभाव में बरामदे में पढ़ती हुईं।

¹⁴ आठ भवनों के लिए पी.डब्ल्यू.डी. और नौ भवनों के लिये आर.ई.एस।

¹⁵ एस.टी. बालिका आश्रम शाला, घुघरी, एस.टी. बालक आश्रम शाला, कापा और एस.टी. आश्रम शाला, खजरी।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने कहा कि पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के लिए आर.ई.एस. के प्रस्ताव को, पूर्व संस्वीकृति के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अनुशंसा के साथ निरस्त (सितम्बर 2017) कर दिया गया था और सम्बन्धित विभाग से दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया जा रहा था। उच्च स्तर पर आवश्यक समीक्षा/जाँच के बाद कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अगस्त 2018 तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था जिसके परिणामस्वरूप तीन आश्रम शालाओं के परित्यक्त निर्माण कार्यों पर ₹ 47.10 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

2.1.6.5 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में अपूर्ण आधारभूत संरचना/सुविधाएँ

नमूना जांच किए गये 53 (25 लड़कों और 28 लड़कियों) आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान निम्नलिखित कमियों को देखा गया:

- योजनाओं के अनुमोदित अभिन्यास (lay out plans) के अनुसार, 50-सीटर छात्रावास में छ: शौचालयों की आवश्यकता थी। हालांकि, 36 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में मानदण्डों के विरुद्ध एक और 15 शौचालयों के बीच की सीमा में कमी थी।
- 24 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में भोजन कक्ष का निर्माण नहीं किया गया था और छात्र बरामदे/कक्ष में भोजन कर रहे थे। 22 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के छात्रों को भोजन करने के लिए फर्श पर बैठना पड़ा क्योंकि भोजन की मेजें नहीं क्रय की गई थीं।
- 13 आवासीय विद्यालयों और नौ छात्रावासों में अधीक्षकों के लिए आवास का निर्माण नहीं किया गया था, जिसके कारण सात आवासीय विद्यालयों और नौ छात्रावासों में अधीक्षक नहीं रह रहे थे। शेष छह आवासीय विद्यालयों के अधीक्षक छात्रावास में छात्रों के साथ ही रह रहे थे।
- नौ बालक और चार बालिकाओं के आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में कोई चाहरदीवारी नहीं थी। 52 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप नहीं था, हालांकि 2012–17 के दौरान इन आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में से 13 में 69 दिव्यांग बच्चे पढ़ रहे थे।
- स्थान की कमी के कारण 41 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में 3,674 छात्रों के विरुद्ध केवल 2,094 चारपाई (57 प्रतिशत) उपलब्ध थे। इन आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में चारपाईयों की कमी की सीमा चार से 130 थी। जिसके फलस्वरूप, दो छात्रों द्वारा एक चारपाई साझा किया जा रहा था। आगे, 37 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की खिड़कियां मच्छर जाली से नहीं ढकी थीं।
- 31 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में खेल सामग्री उपलब्ध नहीं थी और 43 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में पुस्तकालय नहीं था।
- 11 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में रात्रिकालीन चौकीदार तैनात नहीं किया गया था, जिनमें से चार बालिका आवासीय विद्यालय/छात्रावास थे।
- सभी आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का उपयोग आवश्यक था। हालांकि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि 18 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग किया जाता था।

जनजातीय कार्य विभाग के आदेशों (जून 2013 और जून 2014) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं जैसे अध्ययन सामग्री, फर्नीचर, खेल सामग्री, सुरक्षित पानी, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, कलेक्टर के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में क्रय नियमों के अनुसार सामग्रियों की खरीद के उद्देश्य से पालक समितियाँ¹⁶ बनाई जानी हैं। अधीक्षक और बी.ई.ओ. से प्रत्येक आवासीय विद्यालय/छात्रावास में पालक समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित करनी अपेक्षित थी। हालांकि, 2013-17 के दौरान नमूना जांच किए गये 51 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में 804 बैठकों के विरुद्ध 365 बैठकों की कमी थी। आगे, पालक समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की जांच से पता चला कि चयनित आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई कमियों पर इनकी बैठकों में चर्चा नहीं की गई थी। एन.जी.ओ. द्वारा सचालित दो आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में कोई पालक समिति नहीं बनाई गई थी।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

अनुशंसा

जनजातीय कार्य विभाग को प्रत्येक आवासीय विद्यालय/छात्रावास में पालक समिति का गठन और वे प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, ये सुनिश्चित करना चाहिए। जनजातीय कार्य विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त सुविधाएं हों।

2.1.6.6 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में मानव संसाधन की तैनाती

- कन्या आश्रम शालाओं/छात्रावासों में पुरुष कर्मचारियों की तैनाती**

आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा जारी आदेश (अगस्त 2011) के अनुसार, कन्या आश्रम शालाओं/छात्रावासों में सभी कर्मचारियों को महिला होना चाहिए। अधीक्षक और कर्मचारियों से आश्रम शालाओं/छात्रावासों के परिसर में, जहां निवास सुविधा उपलब्ध है, रहना अपेक्षित है।

नमूना जांच किये गये चार जिलों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 116 कन्या आश्रम शालाओं/छात्रावासों में 199 पुरुष कर्मचारी तैनात किए गये थे। इस प्रकार, आयुक्त, आदिवासी विकास के आदेशों का पालन करने में ए.सी.टी.डी. असफल रहे। लेखापरीक्षा ने देखा कि जनजातीय कार्य विभाग के पास आश्रम शालाओं/छात्रावासों में कर्मचारियों की तैनाती के परिवेक्षण और जनजातीय कार्य विभाग के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) नहीं थी।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और प्राथमिकता पर सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

- आश्रम शालाओं/छात्रावासों में अधीक्षकों की तैनाती**

आयुक्त, आदिवासी विकास के परिपत्रों (मई 1982 और मई 1999) के अनुसार, एस.टी.आश्रम शालाओं/छात्रावासों में एस.टी. श्रेणी के अधीक्षक ही तैनात किए जाने हैं। आगे, सभी कलेक्टरों को निर्देशित (मई 1996) किया गया था कि एस.टी. श्रेणी में अधीक्षकों

¹⁶ छात्रों के माता-पिता, आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में रहने वाले प्रत्येक कक्षा के दो छात्र, जिन्होंने उच्चतम प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त किया हो और सम्बन्धित आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के प्रमुख पालक समिति के सदस्य हैं।

की अनुपलब्धता की स्थिति में, अन्य जिलों/संभागों के अधीक्षकों को पदस्थ करने का प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।

नमूना जांच किये गये चार जिलों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 578 आश्रम शालाओं/छात्रावासों में से 107 आश्रम शालाओं/छात्रावासों में अधीक्षक एस.टी. के अलावा अन्य श्रेणी से थे। हालांकि, संबंधित कलेक्टरों ने अन्य जिलों/संभागों से एस.टी. श्रेणी के अधीक्षकों को पदस्थ करने के लिए आयुक्त, आदिवासी विकास को प्रस्ताव नहीं भेजे थे।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

● के.एस.पी. में शिक्षकों की कमी

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत एक विद्यालय हेतु मानदंडों और मानकों के अनुसार, उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रति कक्षा कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए ताकि प्रत्येक (1) विज्ञान और गणित, (2) सामाजिक अध्ययन, और (3) भाषा के लिये कम से कम एक शिक्षक हो। ये मानदंड स्पष्ट रूप से एकल शिक्षक स्कूलों को प्रतिबंधित करते हैं।

तथापि लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि, 16 के.एस.पी. में से 10 के.एस.पी. में केवल एक प्राचार्य था, कोई शिक्षक नहीं था; एक के.एस.पी. में केवल एक प्राचार्य और एक शिक्षक था; पांच के.एस.पी. में केवल एक प्राचार्य और दो शिक्षक थे।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने कहा कि के.एस.पी. के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा।

2.1.6.7 आश्रम शालाओं/छात्रावासों का निरीक्षण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने आश्रम शालाओं/छात्रावासों के सुचारू कार्य हेतु नियमित निरीक्षण के लिए रोस्टर निर्धारित (मई 2006) किया था। आगे, प्रत्येक आश्रम शाला/छात्रावास का त्रैमासिक निरीक्षण ए.सी.टी.डी. द्वारा और मासिक निरीक्षण बी.ई.ओ. द्वारा निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने नमूना जांच किये गये जिलों में देखा कि कलेक्टरों ने आश्रम शालाओं और छात्रावासों के निरीक्षण हेतु रोस्टर तैयार नहीं किए थे। 2012–17 के दौरान नमूना जांच किए गये ए.सी.टी.डी. में आश्रम शालाओं और छात्रावासों के निरीक्षण में कमी 72 प्रतिशत और 81 प्रतिशत की सीमा के बीच थी और नमूना जांच किए गये बी.ई.ओ. में, कमी 54 प्रतिशत और 58 प्रतिशत की सीमा के बीच थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि आयुक्त, आदिवासी विकास निरीक्षणों के पर्यवेक्षण में असफल रहे, और जिलों ने भी मासिक निरीक्षण प्रतिवेदन नहीं भेजा।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

2.1.7 अन्य अनियमितताएं

2.1.7.1 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के लिए सामग्री का क्रय

मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम सामग्री क्रय के लिए निम्नलिखित विधियों को निर्धारित करते हैं:

संहितागत प्रावधान	सामग्री का मूल्य	क्रय का तरीका
मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम 1974 के अनुसार	₹ 1,000 तक	बिना निविदा बुलाये
	₹ 1,000 से अधिक किन्तु ₹ 25,000 से अधिक नहीं	सीमित निविदा द्वारा
	₹ 25,000 से अधिक	खुली निविदा द्वारा
मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार	₹ 20,000 तक	बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के
	₹ 20,000 से अधिक और ₹ एक लाख तक	क्रय समिति द्वारा
	₹ एक से ₹ पाँच लाख के बीच	सीमित निविदा द्वारा
	₹ 5.00 लाख से अधिक	खुली निविदा द्वारा

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 34 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों ने कोटेशन, निविदा आमंत्रण और क्रय समिति के अनुमोदन के बिना ₹ 1.40 करोड़ की लागत की सामग्री क्रय की। आगे, 34 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में से 26 ने उच्च अधिकारियों की स्वीकृति/अनुमति से बचने के लिए निविदाओं को विभाजित करने का सहारा लिया जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.4** में वर्णित है।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, और जिन्होंने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया है उपयुक्त सुधारात्मक उपाय के साथ उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

2.1.8 रहवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण

आयुक्त, आदिवासी विकास के निर्देश (जनवरी 2009 और जून 2011) आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के छात्रों की मासिक स्वास्थ्य परीक्षण निर्धारित करते हैं। आयुक्त, आदिवासी विकास ने इस उद्देश्य के लिये, कलेक्टरों को, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) के साथ परामर्श कर, डाक्टरों के दल गठित करने का निर्देश (मई 2016) दिया था।

तथापि 2012–17 के दौरान नमूना जांच किए गये 59 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के अभिलेखों की जांच में मासिक स्वास्थ्य परीक्षणों में 86.53 प्रतिशत की कमी का पता चला।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

सिक्ल सेल एनीमिया¹⁷ की जांच के लिए शिविर

आयुक्त, आदिवासी विकास ने जनजातीय विभाग द्वारा संचालित सभी विद्यालयों और छात्रावासों में सिक्ल सेल एनीमिया (एस.सी.ए.) के अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण और जांच के प्रबंधन के निर्देश (नवम्बर 2014) दिये थे। स्वास्थ्य कार्ड एस.सी.ए. की स्थिति दर्शाते हुए प्रत्येक बच्चे को जारी किए जाने थे। ए.सी.टी.डी. और जिला स्वास्थ्य अधिकारी प्रत्येक आदिवासी विकासखण्ड में एस.सी.ए. के परीक्षण के लिए शिविर आयोजित करने के लिए उत्तरदायी थे। इस उद्देश्य के लिए, आयुक्त, आदिवासी विकास ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 17 जिला कलेक्टरों को ₹ 5.30 करोड़ जारी (जनवरी 2015) किए। इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा ने चार जिलों की नमूना जांच के आधार पर निम्नलिखित देखा:

¹⁷ सिक्ल सेल एनीमिया, एनीमिया का एक आनुवांशिक रूप है और मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भारत के जनजातीय क्षेत्र में सिक्ल सेल एनीमिया की व्यापकता अधिक है।

- ✓ खरगौन और शहडोल ने उनको दिए गये क्रमशः ₹ 41.65 लाख और ₹ 47.60 लाख के पूरे आवंटन को समर्पित कर दिया। संबंधित ए.सी.टी.डी. ने समर्पण का कारण एस.सी.ए. परीक्षण के लिए दिशानिर्देशों और कार्य योजना का प्राप्त न होना बताया।
- ✓ धार जिले ने ₹ 71.40 लाख के आवंटन में से केवल ₹ 10.48 लाख का उपयोग किया, लेकिन एस.सी.ए. परीक्षण के लिये कोई शिविर आयोजित नहीं किया। इसके बजाय, सी.एम.एच.ओ., धार ने ₹ 9.94 लाख के एस.सी.ए. परीक्षण उपकरण खरीदे।
- ✓ यद्यपि सी.एम.एच.ओ., मण्डला ने ₹ 53.55 लाख की पूरी आवंटित निधि का उपयोग किया, तथापि नमूना जांच किये गये 19 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में से 10 में एस.सी.ए. परीक्षण आयोजित नहीं किए गए। यहां तक की एस.सी.ए. की स्थिति दर्शाते हुए कोई स्वास्थ्य कार्ड उन नौ आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में भी जारी नहीं किए गए थे जहां परीक्षण आयोजित किए गये थे। इस प्रकार, एस.सी.ए. परीक्षण के लिए शिविर आयोजित करने का उद्देश्य हासिल नहीं हुआ और ₹ 53.55 लाख का समस्त व्यय निष्फल था।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) में, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एस.सी.ए. परीक्षण फिर से आयोजित किये जाएंगे।

अनुशंसा

जनजातीय कार्य विभाग रहवासियों के मासिक स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित न होने के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकता है। जनजातीय कार्य विभाग शिविर आयोजित न करने के लिए और जहां शिविर आयोजित किए गये हैं वहां छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति दर्शाने वाला कार्ड जारी न किए जाने के लिए सम्बन्धित ए.सी.टी.डी./स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित कर सकता है।

2.1.9 निष्कर्षों का सारांश

- राज्य में एस.टी. के लिए गुणवत्तायुक्त आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित ई.एम.आर.एस. के लिए शिक्षकों की भर्ती में जनजातीय कार्य विभाग के कमजोर टूटिकोण और बुनियादी ढांचे के विकास में देरी के कारण निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। ई.एम.आर.एस. में विषयवार शिक्षकों की अनुपलब्धता ने शिक्षा की गुणवत्ता और परिणामों को प्रभावित किया।
- राज्य में स्थापित अन्य आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में भी बुनियादी ढांचे की कमी थी। बुनियादी ढांचे में आनुपातिक वृद्धि किए बिना छात्रावासों को उच्च संख्या के लिये उन्नयित किया गया था। निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति और स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिवितयों के कारण इन आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के लिये उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं किया जा सका। कलेक्टर आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में रहने वाले रहवासियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण को सुनिश्चित करने में असफल रहे।
- राज्य में आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के संचालन के वित्तीय प्रबंधन में निर्धारित लेखा पुस्तकों का संधारण न होना, वार्षिक लेखाओं का बकाया रहना, भारत सरकार को अवास्तविक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, आठ से 15 वर्ष पहले जारी किए गये पता न लगाए जाने योग्य अग्रिमों और क्रय में प्रावधानों के उल्लंघन थे।
- ए.सी.टी.डी. और बी.ई.ओ. द्वारा आश्रम शालाओं/छात्रावासों के नियमित निरीक्षण में अत्यधिक कमी थी।

2.1.10 अनुशंसाओं का सारांश

- जनजातीय कार्य विभाग को सोसायटी के अनिवार्य बही-खातों को संधारित करने और खातों को अंतिम रूप देने में विफलता की जांच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विफलता जानबूझकर नहीं थी तथा दुर्लपयोग और धोखाधड़ी की कोई घटना नहीं थी, सतर्कता दृष्टिकोण से करनी चाहिए। जनजातीय कार्य विभाग को इस विफलता के लिए सोसायटी के पदाधिकारियों पर जवाबदेही भी तय करनी चाहिए तथा अविलंब उचित अनुशासनात्मक और अन्य कार्रवाई करनी चाहिए।
- भारत सरकार को गलत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए जनजातीय कार्य विभाग को सोसायटी के पदाधिकारियों पर उत्तरदायित्व तय करना चाहिए तथा उचित विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए।
- जनजातीय कार्य विभाग को सतर्कता दृष्टिकोण से लंबी अवधि से पड़े असमायोजित अग्रिम के मुद्दे की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई दुर्लपयोग या धोखाधड़ी नहीं है। जनजातीय कार्य विभाग और मध्य प्रदेश शासन को अप्रयुक्त अग्रिमों को वापस/समायोजित करने में विफल होने के लिए जिला और सोसायटी पदाधिकारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक और अन्य कार्रवाई करनी चाहिए। आयुक्त, आदिवासी विकास, जो सोसायटी के पदेन सचिव भी हैं, को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले समायोजन के लिए बकाया अग्रिमों की आवधिक समीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
- जनजातीय कार्य विभाग को ई.एम.आर.एस. में प्राचार्य/व्याख्याताओं/शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल उपाय करना चाहिये और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सविदा/अतिथि शिक्षकों पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
- जनजातीय कार्य विभाग को 247 छात्रावासों, जो दिसम्बर 2012 में उन्नयित किए गये थे, में तत्काल आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।
- जनजातीय कार्य विभाग को प्रत्येक आवासीय विद्यालय/छात्रावास में पालक समिति का गठन और वे प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं ये सुनिश्चित करना चाहिए। जनजातीय कार्य विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त सुविधाएं हों।
- जनजातीय कार्य विभाग रहवासियों के मासिक स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित न होने के कारणों की जांच कर सकता है और उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकता है। जनजातीय कार्य विभाग शिविर आयोजित न करने के लिए और जहां शिविर आयोजित किए गये हैं वहां छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति दर्शने वाला कार्ड जारी न किए जाने के लिए सम्बन्धित ए.सी.टी.डी./स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित कर सकता है।

लेखापरीक्षा कंडिकाएं

जनजातीय कार्य विभाग

2.2 बैंक खाते का अनाधिकृत संचालन एवं ब्याज की हानि

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (स.आ.आदि.वि.), सिवनी ने अनाधिकृत रूप से बचत बैंक खाता खोला और बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए आदिवासी कल्याण योजना निधियों की राशि ₹ 112.51 करोड़ जमा किया। स.आ.आदि.वि., जमा धन पर ब्याज के क्रेडिट के लिए बैंक के साथ समय पर कार्रवाई करने में भी असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.44 करोड़ की हानि हुई।

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खंड-I का नियम 6 निर्दिष्ट करता है कि वित्त विभाग की सहमति के बिना समेकित निधि तथा लोक लेखे से निवेश करने या अन्यत्र जमा करने हेतु राशि नहीं निकाली जा सकती है। वित्त विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी (अक्टूबर 1998) किए थे कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गए बैंक खाते बंद किए जाने चाहिए और शासकीय राशि, शासकीय खाते में जमा किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता खंड-I (एम पी टी सी) का नियम 284 निर्दिष्ट करता है कि कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जाएगी जब तक कि उसका तत्काल वितरण अपेक्षित न हो। मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु कोषालय से पेशगी निकालना एक गम्भीर अनियमितता है, तथा ऐसे आहरण के लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (स.आ.आदि.वि.), सिवनी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स.आ.आदि.वि. ने वित्त विभाग की अनुमति के बिना फरवरी 2007 में एक बचत खाता¹⁸ खोला था। व्यय की प्रत्याशा में फरवरी 2007 से जुलाई 2016 के दौरान आदिवासी कल्याण योजना से संबंधित राशि ₹ 112.51 करोड़ कोषालय से आहरित कर इस बैंक खाते में जमा किए गए। इन जमा राशियों में से, राशि ₹ 7.06 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस अर्थात् संबंधित वर्षों के 31 मार्च को, इस खाते में जमा किए गए थे, जो स्पष्टतः इंगित करता है कि बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए ये राशियाँ कोषालय से आहरित की गई थी। इस प्रकार, स.आ.आदि.वि. ने बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए समेकित निधि से राशि आहरित करने संबंधी संहितागत प्रावधानों का उल्लंघन किया।

आगे जांच में पाया गया कि बैंक ने इस बचत खाते में राशि ₹ 2.44 करोड़ का ब्याज मई 2007 से फरवरी 2015 के दौरान क्रेडिट किया था। यद्यपि, बैंक द्वारा ब्याज की ये प्रविष्टियाँ या तो उसी दिन या अधिकांशतः दो से तीन दिनों के भीतर स्वतः ही वापस ली गई। इस तथ्य के बावजूद कि स.आ.आदि.वि., बैंक द्वारा प्रदाय किए गए आवधिक बैंक खाता विवरण के माध्यम से ब्याज वापसी से अवगत था, स.आ.आदि.वि. द्वारा इस प्रकार ब्याज वापसी किये जाने के कारणों की जांच नहीं की गई।

उक्त पर लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर, बैंक ने विरोधाभासी उत्तर दिया। बैंक ने कहा (अप्रैल 2017 और मई 2017) कि स.आ.आदि.वि. ने बैंक को चालू खाता खोलने के लिए कहा था लेकिन मानवीय त्रुटि के कारण बैंक खाता बचत श्रेणी में खुल गया। बैंक के अनुसार, स.आ.आदि.वि. को इस त्रुटि के बारे में सूचित किया गया था, परन्तु उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इसी खाता संख्या को जारी रखने का आग्रह किया क्योंकि मौजूदा खाता संख्या विभिन्न विभागों को भुगतानों एवं वितरण के उद्देश्यों हेतु सूचित

¹⁸ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिवनी में बचत बैंक खाता क्रमांक 20068246878

किया जा चुका था। इस प्रकार, बचत खाता जारी रखा गया था और अंतर्निहित सहमति के साथ—साथ विभाग के निर्देशों के अनुसार जमा ब्याज को वापिस लिया गया था। यद्यपि, बैंक ने आश्चर्यजनक रूप से सूचित किया कि विभाग के मौखिक या लिखित निर्देशों के अभाव में जून 2015 से कोई ब्याज वापसी नहीं ली गई थी।

स.आ.आदि.वि., सिवनी ने अपने उत्तर (जून 2017) में बैंक के कथन का खंडन किया और कहा कि विभाग ने बचत खाते को चालू खाते में बदलने के लिए बैंक को कोई निर्देश जारी नहीं किया था। साथ ही, बैंक, ब्याज प्रविष्टियों को वापस लेने के विभाग के निर्देश का पूर्व प्राधिकार पत्र को भी प्रस्तुत नहीं कर सका।

इस पर लेखापरीक्षा में ध्यान इंगित किए जाने पर, स.आ.आदि.वि. ने पूर्व में ही वापस ली गई ब्याज प्रविष्टियों की राशि ₹ 2.44 करोड़ को वापस प्राप्त किये बिना ही जुलाई 2017 में खाता बंद कर दिया। लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिवेदित प्रकरण की जांच करने हेतु कलेक्टर (सिवनी) ने एक समिति भी (अगस्त 2017) गठित की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष (सितम्बर 2017) दिया कि, स.आ.आदि.वि., बैंक के साथ ब्याज वापसी के मुददे को समय—समय पर उठाने में असफल रहा और बैंक के साथ सभी पत्र व्यवहार केवल लेखा परीक्षा द्वारा प्रकरण प्रतिवेदित किए जाने के बाद किए गए।

इस प्रकार, स.आ.आदि.वि. के बैंक के साथ समय पर कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप बचत खाते से वापस ली गई ब्याज प्रविष्टियों के कारण राशि ₹ 2.44 करोड़ की हानि हुई।

निर्गम सम्मेलन (दिसंबर 2017) के दौरान प्रमुख सचिव, आदिवासी कार्य विभाग ने जवाब दिया कि बैंक से ब्याज की राशि वसूलने के लिए समय पर कार्रवाई करने हेतु स.आ.आदि.वि., सिवनी को निर्देश जारी किए गए थे।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

2.3 निर्थक व्यय

कोयला धारित क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी के विकास की अनुमति देने से पूर्व, नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन.सी.एल.) की आपत्ति को संज्ञान में लेने में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सिंगरौली विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप कॉलोनी के विकास पर सिंगरौली विकास प्राधिकरण द्वारा ₹ 1.95 करोड़ का निर्थक व्यय हुआ क्योंकि बाद में भूमि को एन.सी.एल. द्वारा अधिग्रहित किया गया था।

कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 की धारा 7 यह प्रावधान करती है कि यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि कोयला प्राप्त करने योग्य है तो वह सम्पूर्ण भूमि अथवा उसके किसी भाग को अधिग्रहित करने की अपने आशय की सूचना आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा दे सकती है। कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 यह प्रावधान करती है कि कोयला खदानों के सम्बन्ध में मालिकों के अधिकार, हक और हित सभी ऋणभारों से मुक्त होकर केन्द्र सरकार को हस्तांतरित तथा पूर्णतः अधिकृत हो जाएंगे।

सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि कलेक्टर, सिंगरौली द्वारा ग्राम पंजरेह में खसरा क्रमांक 47/1 की 4.047 हेक्टेयर भूमि आवासीय उद्देश्य हेतु सिंगरौली विकास प्राधिकरण को आवंटित (अगस्त 2012) की गई थी। संयुक्त संचालक (जे.डी.), नगर तथा ग्राम निवेश (टी. एण्ड सी.पी.), रीवा द्वारा ग्राम पंजरेह में आवंटित 4.047 हेक्टेयर भूमि पर पंडित दीन दयाल धाम आवासीय योजना के विकास हेतु विकास अनुज्ञा जारी (अक्टूबर 2012) की गई थी। तत्पश्चात, सिंगरौली विकास प्राधिकरण ने ग्राम पंजरेह के खसरा क्रमांक 47/1, 48/1, 49/1 तथा 50/1 पर आवासीय कॉलोनी विकसित करने हेतु पुनरीक्षित योजना प्रस्तुत (अप्रैल 2014) की। जे.डी., टी. एण्ड सी.पी., सिंगरौली ने नवम्बर 2014 में पुनरीक्षित विकास अनुज्ञा जारी की।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि आवास एवं पर्यावरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रारूप सिंगरौली विकास योजना 2031 अधिसूचित तथा प्रकाशित (फरवरी 2014) की तथा आपत्तियाँ/सुझावों को आमंत्रित किया। प्रारूप योजना के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार, ग्राम पंजरेह अन्य ग्रामों के साथ कोयला धारित क्षेत्र में आ रहा था। एन.सी.एल., सिंगरौली ने अपनी आपत्ति जे.डी., टी. एण्ड सी.पी., सिंगरौली को प्रस्तुत (मार्च 2014) की तथा कुछ खनन पट्टे वाले क्षेत्रों को सिंगरौली विकास योजना 2031 से बाहर रखने का अनुरोध किया। एन.सी.एल. की आपत्ति पंजरेह के क्षेत्र को सम्मिलित करती थी जिसमें पंडित दीन दयाल धाम आवासीय योजना विकसित की जा रही थी। जे.डी., टी. एण्ड सी.पी. की अध्यक्षता वाली एक समिति ने प्रारूप सिंगरौली विकास योजना 2031 पर प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण किया जिससे निष्कर्ष निकला (अक्टूबर 2014) कि एन.सी.एल. की आपत्ति स्वीकार योग्य थी। आयुक्त-सह-संचालक, टी. एण्ड सी.पी. द्वारा भी समिति की अनुशंसा स्वीकार की गई थी।

तथापि, उसी जे.डी., टी. एण्ड सी.पी. ने ग्राम पंजरेह में पंडित दीन दयाल धाम आवासीय योजना की पुनरीक्षित विकास अनुज्ञा स्वीकृत (नवम्बर 2014) करते समय ग्राम पंजरेह के विकास पर एन.सी.एल. की आपत्ति का संज्ञान नहीं लिया। तत्पश्चात, भारत सरकार ने कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 की

धारा 4 (1) के अन्तर्गत ग्राम पंजरेह में भूमि का अधिग्रहण अधिसूचित (मई 2016) किया तथा एन.सी.एल. ने सिंगरौली विकास प्राधिकरण को सूचित (मई 2016 एवं अक्टूबर 2016) किया कि ग्राम पंजरेह में कोयला खनन हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है जिससे इन भूमि पर विकास उपयोगी नहीं होंगे। परिणामस्वरूप, सिंगरौली विकास प्राधिकरण ने पंडित दीन दयाल धाम आवासीय योजना का विकास कार्य रोक दिया (जनवरी 2017) तथा एन.सी.एल. से क्षतिपूर्ति के रूप में योजना पर व्यय की गई राशि के भुगतान हेतु ₹ 2.94 करोड़ की माँग की। हालांकि, एन.सी.एल. ने इस प्रकार की माँग को यह कहते हुये (मार्च 2017) ठुकरा दिया कि कोयला धारित क्षेत्र पर उनकी आपत्तियों को अनदेखा करते हुये अनुज्ञा प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जे.डी., टी. एण्ड सी.पी. द्वारा नवम्बर 2014 में पुनरीक्षित विकास अनुज्ञा जारी करने के पश्चात सिंगरौली विकास प्राधिकरण ने पंडित दीन दयाल धाम आवासीय योजना के विकास कार्यों पर ₹ 1.95 करोड़ व्यय किया। यदि जे.डी., टी. एण्ड सी.पी. ने एन.सी.एल. की आपत्तियों, जो उनके द्वारा सिंगरौली विकास योजना 2031 हेतु आपत्तियों की सुनवाई के दौरान पहले ही स्वीकार की गई थीं (अक्टूबर 2014), की अनदेखी कर अनुज्ञा प्रदान करने की त्रुटि न की होती तो ₹ 1.95 करोड़ का निरर्थक व्यय टाला जा सकता था।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर संचालक, टी. एण्ड सी.पी., भोपाल ने स्वीकार किया (मई 2018) कि जे.डी., टी. एण्ड सी.पी. द्वारा प्रदान की गई पुनरीक्षित अनुज्ञा एक त्रुटि थी तथा यह उचित होता कि पुनरीक्षित अनुज्ञा सिंगरौली विकास योजना 2031 के प्रकाशन के पश्चात जारी की जाती।

प्रकरण अनुवर्ती अनुस्मारकों (अगस्त 2017, दिसम्बर 2017 तथा मार्च 2018) सहित शासन को प्रतिवेदित (जून 2017) किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2018)।

गवालियर
दिनांक: 05 नवम्बर 2018



(राजीव कुमार पाण्डे)
महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 09 नवम्बर 2018



(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक